

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.

वाद संख्या पुराना: 66/1999

वाद संख्या नया : 26/2014

निर्णय दिनांक : 28.12.2018

उनवान

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी अजमेरा, पत्नी श्री खिताबचन्द अजमेरा, जाति जैन, निवासी एस-15 महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

वादीया

बनाम

1. रमेश पुत्र कन्हैयालाल
2. पुरुषोत्तम पुत्र कन्हैयालाल
3. विमला देवी पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण
4. राधामोहन पुत्र सीताराम  
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर, जयपुर।
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट0

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर में भूमि साबिक खसरा नम्बर 378 रकबा 32 बीघा स्थित थी, जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के श्वसुर एवं प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य हुए पारिवारिक समझौते के अनुसार उक्त भूमि के अधिकार श्री कन्हैयालाल चक्रपाणी को प्राप्त हो गये। कन्हैयालाल चक्रपाणी ने पारिवारिक समझौते में आयी भूमि खसरा नम्बर 378 की 32 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि अपनी पुत्री को बख्शीश कर दी। इस प्रकार 25 बीघा भूमि पर कन्हैयालाल की पुत्री मालिक हो गई बाद में उक्त 25 बीघा भूमि का विवाद नहीं है तथा खसरा नम्बर 378 की शेष बची भूमि को श्री कन्हैयालाल चक्रपाणी ने दिनांक 28 मार्च 1973 को 17999/- रुपये शब्दों में (सत्रह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) वादिया को विक्रय कर कब्जा दे दिया। इस प्रकार वादिया भूमि की खातेदारी काश्तकार हो गई। उस वक्त तहसील में 12 मील का बन्दोबस्त का कार्य चल रहा था तथा 12 मील के बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 378 जिसका विक्रय वादिया को किया गया था, के नम्बर परिवर्तित कर नवीन खसरा नम्बर 305 अंकित किये गये तथा मौके पर पेमाईस में भूमि 8 बीघा होने के कारण इसका रकबा 8 बीघा दर्ज किया गया तथा इसकी खातेदारी श्री कन्हैयालाल द्वारा वादिया को विक्रय किये जाने के कारण तथा ए0एस0ओ0 के समक्ष श्री कन्हैयालाल द्वारा बयान दिये जाने के कारण खातेदारी वादिया के नाम दर्ज कर दी गई। 12 मील के बन्दोबस्त का राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिये जाने के कारण उसका अमल नहीं हो सका तथा जमाबंदी में इसका अंकन बरवक्त नहीं हो सका किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर व श्री कन्हैयालाल चक्रपाणी के बयानों के आधार पर वादिया भूमि की खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में बन्दोबस्त होने पर खसरा नम्बर 378 के नम्बर परिवर्तित कर नवीन खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर दर्ज किये गये। किन्तु गलती से खातेदारी वादिनी के नाम दर्ज न कर कन्हैयालाल व राधा मोहन के नाम दर्ज कर दी गई तथा कन्हैयालाल का

स्वर्गवास हो जाने के कारण नामांतरण संख्या 1 दिनांक 20.08.1998 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामांतरण खोल दिया तथा गलत रूप से खातेदारी अंकित कर दी गई जो कि वादिया के मुकाबले शून्य है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही वादिनी की अज्ञानता में एवं बिना उसके जानकारी के की गई इस कारण वादिया को उक्त संपूर्ण मामले की जानकारी नहीं को सकी। वादिनी को जानकारी होने पर उसने तहसीलदार के समक्ष भूमि का नामांतरण उसके नाम खोलने का आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु तहसीलदार ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से ही नामांतरण खोल दिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 का नाम यथावत रखा। इस पर वादिया ने सन् 1999 में प्रतिवादीगण को वादिया के नाम खातेदारी दुरुस्त कराने को कहा तो उन्होने खातेदारी को दुरुस्त कराने से मना कर दिया तो वादिया के लिये दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। इसी दौरान उपरोक्त भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी की गई तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जयपुर विकास प्राधिकरण के यहाँ बिना आधार एवं गलत तरीके से भूमि का मुआवजा उठाने की कौशिश कर रहे हैं। इस कारण वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा इस्तदुआ की कि प्रतिवादीगण भूमि का मुआवजा न उठाये तथा वादिया को भूमि से बेदखल ना करे, तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। तथा प्रतिवादी संख्या 5 भूमि का मुआवजा किसी दीगर व्यक्ति को ना दे। वादिया द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व 5 के अभिभाषक ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने-अपने जवाब दावे प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादिया द्वारा प्रस्तुत दावे के तथ्यों को नकारा है तथा प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त कथन में यह अंकित किया है कि भूमि अवाप्त हो गई है तथा भूमि की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम लग गई है इस कारण वादिया का दावा चलने योग्य नहीं है साथ ही यह तथ्य भी अंकित किया है कि वादिनी का वाद मियाद बाहर है इसलिये दावा खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भी जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा उन्होने भी अपने जवाब में वादिया द्वारा प्रस्तुत दावे के तथ्यों को नकारते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया है। केवल अतिरिक्त कथन में जयपुर विकास प्राधिकरण के जवाब में अंकित किया है कि भूमि अवाप्त हो गई है, इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है इसके अलावा कोई अन्य कथन नहीं किया गया।

वादिया के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1. आया ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर में भूमि साबिक खसरा नम्बर 378 रकबा 32 बीघा स्थित थी, जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज थी। पारिवारिक समझौते के अनुसार उक्त भूमि के अधिकार श्री कन्हैयालाल चक्रपाणी को प्राप्त हो गये।
2. खसरा नम्बर 378 के 32 बीघा भूमि में से कन्हैयालाल ने 25 बीघा भूमि अपनी पुत्री को जरिये बख्शीश एवं शेष भूमि वादिया को मार्च 1973 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 17,999/- रुपये में विक्रय कर कब्जा दे दिया।
3. आया 12 मील का बन्दोबस्त का कार्य चल रहा था तथा बन्दोबस्त के दौरान वादिया द्वारा क्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर 305 अंकित कर 8 बीघा भूमि का कच्चा पर्चा कन्हैयालाल के बयानों के बाद जारी कर दिया किन्तु 12 मील का अमल न होने के कारण भूमि वादिया के नाम न होकर कन्हैयालाल के नाम से ही लगी रह गई।
4. आया भूमि साबिक खसरा नम्बर 378 के हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर दर्ज किये गये।

(जगत राजेश्वर)  
उपखण्ड अधिकारी  
द्वितीय (सांगानेर)

उक्त कन्हैयालाल के विक्रय के कारण तथा उसके द्वारा सहायक भू प्रबन्ध विभाग में दिये गये बयानों के आधार पर वादिया अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

5. आया कन्हैयालाल की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा अपने नाम नामांतरण खुलवा लिया तथा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 ने गलत अंकन करवा लिया जिसे दुरुस्त किया जाकर खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम विलोपन कर वादिया के नाम खातेदारी का अंकन किया जाना न्यायसंगत है।
6. आया वादिया निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
7. आया भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चलने के कारण वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय को नहीं है।
8. आया वादिया को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
9. आया भूमि में 1/2 भाग राधामोहन का था जो सह कृषक था तथा बेचान से पूर्व उसकी सहमति नहीं ली गई इस कारण बेचान नहीं किया जा सकता है।
10. दादरसी।

तनकीयात कायम कर वादिनी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य के लिये रखा गया वादिनी ने अपने वाद के कथन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संख्या 2055 नकल खसरा गिरदावरी 2032, नकल नामांतरण संख्या 17 दिनांक 12.05.1999 पर्चा स्लिप सेटलमेंट, विक्रय पत्र कन्हैयालाल बहक लक्ष्मी देवी तथा नकल फ़ैसला ए0एस0ओ0 सेटलमेंट का प्रस्तुत किया है तथा जुबानी साक्ष्य में राजेश अजमेरा मुख्तयारआम लक्ष्मी देवी व विनय शर्मा व प्रेमचंद मेहरा के बयान कराये हैं। प्रतिवादीगण न तो उपस्थित हो रहे हैं और ना ही उनकी ओर से कोई साक्ष्य व दस्तावेजात ही प्रस्तुत किये गये हैं।

तनकी संख्या 1:- तनकी संख्या 1 का भार वादिया पर था तथा वादिया ने अपनी साक्ष्य तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर श्री कन्हैयालाल चक्रपाणी द्वारा वादिया के हक में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है उससे ही स्पष्ट है कि स्वयं कन्हैयालाल ने ही यह माना है कि उक्त भूमि उसे पारिवारिक सेटलमेंट में प्राप्त हुई है। खसरा नम्बर 378 पूर्व में 32 बीघा का रखा था तथा उसमें से 25 बीघा भूमि अपनी पुत्री को गिफ्ट(दान) कर दी इसके संबंध में किसी भी पक्षकार ने कोई आपत्ति आज दिन तक नहीं की इससे स्पष्ट है कि परिवार में आपसी सेटलमेंट हो गया था तथा इसका अंकन भी विक्रय पत्र में किया गया है। इसी कारण श्री कन्हैयालाल को भूमि विक्रय करने का अधिकार था। जिस समय वादिया ने भूमि क्रय की उस समय 12 मील का बन्दोबस्त चल रहा था तथा स्वयं ए0एस0ओ0 के समक्ष उपस्थित होकर श्री कन्हैयालाल ने बयान दिया था जिसके आधार पर सेटलमेंट विभाग द्वारा कच्चा पर्चा स्लिप वादिया के नाम से जारी कर दिया गया था। किन्तु राज्य सरकार के आदेश से उक्त सेटलमेंट का अमल नहीं हुआ तथा भूमि की खातेदारी कन्हैयालाल व राधामोहन के नाम से लग गई जब कि भूमि विक्रय करने के बाद उनके अधिकार धारा 63 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार भूमि में नहीं रहते हैं। वादिया को जब उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो उन्होंने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार ने समस्त तथ्यों की जाँच कर दिनांक 12.05.99 को केवल 1/2 हिस्से का ही नामांतरण तस्दीक किया। जबकि पारिवारिक समझौते के आधार पर राधामोहन को भी किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही भूमि पर सभी उनका कब्जा ही रहा।


(जगत राजेश्वर)  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

इस प्रकार से वादिया ने तनकी संख्या 1 को पूर्णतया सिद्ध किया है। वादिया की साक्ष्य से भी उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की पुष्टि की है।

तनकी संख्या 2 :- जहाँ तक तनकी संख्या 2 का सवाल है प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि कन्हैयालाल ने भूमि खसरा नम्बर 378 में से 25 बीघा भूमि का बख्शीश अपनी पुत्री को किया है। जब कन्हैयालाल ने अपनी पुत्री को 25 बीघा भूमि को बख्शीश किया था तथा राधा मोहन ने या किसी भी पक्ष ने उसमें आपत्ति नहीं की इससे प्रतिवादीगण के कथन से ही स्पष्ट है, कि उक्त भूमि कन्हैयालाल को पारिवारिक समझौते में प्राप्त हुई है तथा इसी कारण उसे शेष भूमि को विक्रय करने का अधिकार था। इसी आधार पर उसने वादिया से विक्रय मूल्य प्राप्त कर भूमि को विक्रय किया है तथा इसी कारण से इतने लम्बे समय तक प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की स्वयं विक्रय पत्र में भी भूमि को विक्रय कर कब्जा देने का तथ्य एक सक्षम अधिकारी के समक्ष कथन किया है तथा सेटलमेंट विभाग में भी उक्त बात की साक्ष्य दी है। इससे भी वादिया ने तनकी संख्या 2 को साबित किया है।

तनकी संख्या 3 :- तनकी संख्या 3 का भार भी वादिया पर है तथा इस तनकी को वादिया ने पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। प्रतिवादीगण ने भी इस तथ्य को पुष्टि अपने जवाब दावे में की है। वादिया ने अपने वाद पत्र में सेटलमेंट विभाग की कच्ची पर्चा रिलिफ तथा ए0एस0ओ0 के यहाँ से पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस आवेदन पत्र में नकल न देने का कारण यही लिखा गया है, कि राज्य सरकार द्वारा 12 मील का सैटलमेंट का अमल रोके जाने के कारण नकल नहीं दी जा सकती। इससे भी स्पष्ट है कि 12 मील का बन्दोबस्त का अमल नहीं हुआ और भूमि कन्हैयालाल व राधामोहन के नाम लग गई। उक्त भूमि गलती से इसके नाम लगी है तथा उसे दुरुस्तकरण की वादिनी अधिकारी है। अतः तनकी नम्बर 3 को भी वादिनी ने सिद्ध किया है तनकी नम्बर 4 व 5 आपस में समानता रखती है। चूकि हाल में बन्दोबस्त होने पर भूमि के पुनः नम्बर परिवर्तित खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर अंकित किये गये उक्त तथ्य को प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। किन्तु कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद बिना वादिया की जानकारी के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया किन्तु वादिया को जब जानकारी हुई तो उसने तहसील में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार महोदय के जाँच कर नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 12.05.99 को 1/2 भाग का नामान्तकरण वादिया के हक में तस्दीक कर दिया किन्तु 1/2 भाग राधा मोहन के नाम गलत अंकित रहा। इस कारण जब पारिवारिक समझौते के आधार पर संपूर्ण भूमि कन्हैयालाल के पास आ गयी तो राधामोहन का न कभी भूमि पर कब्जा रहा और न ही उसकी भूमि से किसी प्रकार का संबंध ही है तो उसका नाम खातेदारी से हटाया जाना न्यायसंगत है। वादिया के नाम से जो 1/2 भाग का नामान्तकरण खोला गया उसके विरुद्ध प्रतिवादीगण ने जिलाधीश महोदय के यहा अपील प्रस्तुत की थी तथा वह अपील कन्हैयालाल के वारिसो व राधामोहन ने प्रस्तुत की थी। उक्त अपील खारिज हो चुकी है तथा इनके निर्णय राजस्व मण्डल तक से हो चुके हैं। इस प्रकार वादिया के हक में जो नामान्तकरण संख्या 17 खोला गया था वह आज भी प्रभावी है। इस प्रकार वादिया ने तनकी नम्बर 4, 5 व 6 को पूर्णतया सिद्ध किया है। इस कारण उक्त तनकीयात को निर्णय भी वादिया के पक्ष में किया जावे।

वादिया ने कब्जे के सम्बन्ध में गिरदावरी सम्वत् 2031 से 33 व लगान की रसीदे जो स्वयं कन्हैयालाल ने जमा कराने हेतु प्राप्त कर वादिया को रसीद दी है।

  
(जगत राजेश्वर)  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राधा मोहन ने भी ए0एस0ओ0 के समक्ष बयान देकर कब्जा व अधिकार कन्हैयालाल का ही माना था तथा कन्हैयालाल ने नाम दौराने सैटलमेंट भूमि लग गई थी इसी कारण कन्हैयालाल ने उसके नाम भूमि होने से विक्रय किया है।

तनकी संख्या 7, 8 एवं 9 :- को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। किन्तु प्रतिवादीगण ने न तो कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये और ना ही कोई साक्ष्य ही उपस्थित होकर प्रस्तुत की। जहाँ तक तनकी नम्बर 8 का प्रश्न है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी ऑर्डर 7 रूल 11 का एक आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया था जिसको दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद में खारिज कर दिया गया था तथा राजस्व मण्डल में रिवीजन प्रस्तुत होने के बाद राजस्व मण्डल में भी रिवीजन खारिज हो गई। इस प्रकार उक्त तनकी का पूर्व में ही निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध हो चुका है। यहा यह पुख्ता प्रश्न है कि भूमि का वास्तविक खातेदार कौन है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से अवाप्ति के बाद मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। चूकि उक्त तनकी पूर्व में ही तय हो चुकी है। इसलिये शेष तनकीयात भी प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध न किये जाने के कारण उनके विरुद्ध निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त आधार पर तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादिया ने पूर्ण रूप से सिद्ध की है इस कारण वादिया को संपूर्ण भूमि हाल खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर वाके ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है कि वो वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करे।

अतः वादिया का वाद अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर का नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 12.05.1999 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा नही उठावें। वर्तमान में भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है इसलिये वादिया को अधिकार है कि वह उक्त आराजियात का जयपुर विकास प्राधिकरण से यदि कोई राज्यहित प्रभावित नही होता है तो मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगत राजेश्वर)

आर.ए.एस.

(जयपुर अधीक्षक)

जयपुर द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर जयपुर (सांगानेर)

**अंतिम डिक्री मुकदमा इब्राहिम**

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज्ञ अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इगलास श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.

वाद संख्या पुराना: 66 / 1999  
वाद संख्या नया : 26 / 2014

उत्पान

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी अजमेरा, पत्नी श्री खिताबन्द अजमेरा, जाति जैन, निवासी एम-15 महावीर मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर।

बनाम

वादीया

1. सेश पुत्र कन्हैयालाल
2. पुरुषोत्तम पुत्र कन्हैयालाल
3. मला देवी पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण
4. राधानोहन पुत्र सीताराम
5. भूमि अर्वाचित अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

प्रतिवादीयाण

**वाद अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा**

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान टिनेन्सी प्रवृत्त

यह मुकदमा आज वारसे इनाफिसाल कर्तई खबर उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीयाण मिनजानिब मुर्दई खबर वकील प्रतिवादीयाण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। वादिया का वाद अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीयाण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोत्यावास तहसील सांगानेर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 458, 459, 470, 471 एवं 473 कुल कितता 5 कुल रकबा 1.97 हेक्टर का नामान्तरण संख्या 17 दिनांक 12.05.1999 के अनुसार खतेदार काररकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीयाण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अवाप्तुदा भूमि का मुआवजा नहीं उठावें। वर्तमान में भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है इसलिए वादिया को अधिकार है कि वह उक्त आराजियात का जयपुर विकास प्राधिकरण से यदि कोई राज्खत प्रभावित नहीं होता है तो खर्चा इस मुकदमे के मय बाद बशरह..... पीसदी सालाना आज की तारीख से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

शेष अदायगी तक ..... का अदा करें।  
बसबा मेरे दरखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.12.2018 को जारी की गई।

मुहर

दरखत ..... (जगत राजेश्वर)  
ओहदा ..... (जगत राजेश्वर)

मुर्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	मुताफरिह
स्टाम अर्वा दावा			स्टाम अर्वा दावा	
स्टाम वकालत नामा			स्टाम अर्वा	
स्टाम वह सबूत			महलाना वकील	
महलाना वकील			खर्चा गावाहन	
खर्चा गावाहन			फीस कभिरन	
फीस कभिरन			बादत इजराय हुकमानामा	
बादत इजराय हुकमानामा			मुताफरिह	
मुताफरिह			मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरकत का ब्याज डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(जगत राजेश्वर)  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)